न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 21/2018 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— रामावतार आजाद पुत्र स्व. श्री टोरमल जाति आजाद निवासी रामपुरा बेरी तहसील राजगढ जिला चूरू।

——— अपीलान्ट

— बनाम —

स्टेट ऑफ राजस्थान।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री धीरेन्द्रसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 23.04.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 06.03.2018, जिसमें अपीलांट के नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने पिता के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपीलान्ट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू, अति.पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. बीकानेर एवं उप वन संरक्षक चूरू, उप खण्ड अधिकारी, चूरू, तहसीलदार, चूरू से रिपोर्ट ली गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को मृतक प्रकरण में कुर्सीनामा, वारिसान के अनापत्ति के शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने हेतु बार–बार लिखा गया, परन्तु अपीलांट द्वारा वांछित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये, जिसको आधार मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 6/8 मार्च, 2018 को अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त करने संबंधी पत्र क्रमांक 1494 दिनांक 06/08.03.18 जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री धीरेन्द्रसिंह ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उल्लेखित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजात व विभिन्न जांच रिपोर्ट्स पर गौर किये बिना वास्तविक तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर आदेश जेर अपील पारित किया है। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र वर्ष 2007 से जेरकार है, जिसकी कुल पॉच पत्रावलियॉ संधारित की गई हैं, जिनमें तमाम सबूत, जैसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा, पुलिस थाना हमीरबास की रिपोर्ट, पुलिस अधीक्षक, चूरू, अति.पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, बीकानेर की रिपोर्ट, उप वन संरक्षक की रिपोर्ट, सदस्य सी.एल.जी. की रिपोर्ट, हथियार चलाने का प्रमाण पत्र सभी ने शस्त्र लाईसेंस देने की अनुशंषा की थी। उक्त पत्रावलीयॉ आज तक भी पैण्डिग है तथा नये नियमों के मुताबिक वर्ष 2016 में नया आवेदन पत्र लिया, कानूनन उक्त पूर्व का आवेदन सं. प.21(1)( )न्याय/07 के साथ तमाम पत्रावलियॉ संलग्न करनी चाहिए थी । परन्तु उक्त पत्रावलियॉ पैण्डिग रख कर एक नई पत्रावली सं. प. 21(1)(09)न्याय/2016 बनाकर आवेदन पत्र बिना किसी स्पीकिंग आदेश के पत्र के रूप में शस्त्र आवेदन पत्र को निरस्त कर कानूनी भूल की है। अपीलांट ने तमाम सबूत साक्ष्य जो मांगे गये थे वो प्रस्तुत किये जा चुके हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू को कानूनन ऐसा आदेश करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था इसलिए आदेश निरस्त करने योग्य है। पुलिस जांच व अन्य जांचों में अपीलांट के प्रतिकूल कोई टिप्पणी–रिपोर्ट नहीं है बल्कि सभी ने अनुज्ञा पत्र दिये जाने बाबत अनुशंषा की है। अपीलांट के शस्त्र लाईसेंस के प्रार्थना पत्र को केवल यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया कि "जीवन संबंधी कोई खतरा नहीं है एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश नहीं किये।" उक्त आदेश रिकार्ड के विपरीत एवं प्रस्तुत साक्ष्यों व सबूतों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है, क्योंकि कानूनन शस्त्र लाईसेंस स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को है, जबकि जेर अपील आदेश अति.जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया जो कि ऐसा आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट जिला कलेक्टर कार्यालय, चूरू से सहायक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है तथा चूरू जिला में निवास कर रहा है। शांतिप्रिय एवं कानून का सम्मान करने वाला नागरिक है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी

संभागीय आयुक्त

थाना क्षेत्र में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज या विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वांछित दस्तावेज अपीलांट से चाहे जाने व बार–बार लिखे जाने के उपरान्त प्रस्तुत नहीं करने एवं आवेदक से नये नियम 2016 के अन्तर्गत जीवन सम्बन्धी को खतरा होने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने की दशा में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक प्रकरण में अपीलांट ने अपने पिता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलांट को वांछित दस्तावेजात यथा – उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कुर्सीनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु बार–बार लिखा जाने के उपरान्त अपीलांट द्वारा यथासमय प्रस्तुत नहीं किया, आवेदक द्वारा नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत दिनांक 26.12.16 को आवेदन पेश किया, जिसमें आत्म रक्षार्थ व जानमाल रक्षार्थ हथियार की आवश्यकता बतलाई गयी है, जिसमें आवेदक को जीवन सम्बन्धी कोई खतरा नहीं होने से अति.जिला मजिस्ट्रेट, चूरु की अनुशंषा के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेश दिनांक 27.2.18 द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र निरस्त करने पर अति. जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा अपीलान्ट को आवेदन पत्र निरस्त करने सम्बन्धी पत्रांक 1494 दिनांक 06/08.03.18 जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पॉच अलग–अलग पत्रावलियॉ संधारित की गई है, जिनमें सभी वांछित दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किये हुए है परन्तु उपलब्ध अभिलेख में संलग्न दस्तावेजात की छाया प्रतियॉ लगी हुई है, जो कार्यालय में किस दिनांक को प्रस्तुत किये गये, तिथि का कहीं पर उल्लेख नहीं है तथा मृतक प्रकरण में उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी सहमति स्वरूप कोई शपथ पत्र संलग्न नहीं हैं।

सभागीय आयुक्त
बीकानेर

आवेदक द्वारा नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत दिनांक 26.12.16 को आवेदन पेश किया, जिसमें आत्म रक्षार्थ व जानमाल रक्षार्थ हथियार की आवश्यकता बतलाई गयी है, जिसमें आवेदक को जीवन सम्बन्धी खतरा होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । इस संबंध में अपीलांट ने हमारे सक्षम भी कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये हैं।

7. अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा किये गये आदेश दिनांक 27.2.18 की अनुशंषा पर अति.जिला मजिस्ट्रेट, चूरू आवेदन पत्र निरस्त करने सम्बन्धी पत्रांक 1494 दिनांक 06/08.03.18 का अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 23.4.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर